HAMIRPUR POLICE

METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या के अभियोग में दो अभियुक्तों को 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹30,000 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।"

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे **ऑपरेशन कन्विक्शन** अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना **बिवांर** में पंजीकृत **मु0अ0सं0-124/2022 धारा 498ए, 304बी भा0द0सं0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम** में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय **गैंगस्टर कोर्ट** जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त **जयप्रकाश कुशवाहा पुत्र नत्थू कुशवाहा व सन्तोष कुशवाहा पुत्र जयप्रकाश कुशवाहा** निवासीगण ग्राम मुटनी थाना बिंवार जनपद हमीरपुर को 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास व प्रत्येक को 15,000-15,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

	अभियोजक एडीजीसी विशम्भर सिंह पाल		विवेचक- सी0ओ0 विवेक यादव		पैरोकार थाना - बिवांर श्रीकान्त राजपूत